

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties and Pleaders when necessary	Date of Order
12-09-17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ।</p> <p>अभियुक्त राकेश सहित अधिवक्ता श्री ए०के० राणा।</p> <p>प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है। अतः आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया।</p> <p>फरियादी उषा सहित अधिवक्ता श्री राकेश भट्टेले अधिवक्ता।</p> <p>फरियादी ने आरोपी से राजीनामा होने की संभावना व्यक्त की।</p> <p>उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।</p> <p>उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।</p> <p>अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं को हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष दिनांक 12.09.17 को 12 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।</p> <p>प्रकरण आगामी दिनांक 25.09.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)</p> <p>पुनश्च:</p> <p>उभयपक्ष पूर्ववत्।</p> <p>प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।</p> <p>फरियादी उषा ने एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320, द० प्र० स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के निशानी अंगूठा, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राकेश भट्टेले एवं अभियुक्त की पहचान उनके अधिवक्ता श्री ए०के० राणा द्वारा की गई।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।</p> <p>अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 294, 323, एवं 506 भाग-दो के अधीन दण्डनीय अपराध में अभियोगपत्र पेश किया है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p>	<p style="text-align: center;">12.09.17</p> <p style="text-align: center;">A.K. Gupta</p> <p style="text-align: center;">Judicial Magistrate</p> <p style="text-align: center;">Gohad distt.Bhind</p> <p style="text-align: center;">M.P.</p>	